A6

न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः पीयूष समारिया, I.A.S.

प्रकरण संख्या –07/2018 (आवन्टन निरस्तीकरण)

GCMS No. 2018/00058

सरकार जर्ये तहसीलदार तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

––प्रार्थी.

बनाम

1. श्री जोधराज आत्मज लक्ष्मीनारायण जाति छीपा निवासी कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा

––अप्रार्थी.

जिला कलक्टर कोटा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) आवंटन निरस्त करने ।

उपस्थित–

1. पेरोकार सरकार
2. श्री अशोक कुमार मीणा, अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय

दिनांकः– 28/01/2026

1. प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि श्री जोधराज पुत्र लक्ष्मीनारायण को ग्राम कैथून के खसरा नम्बर 2070/2314 रकबा 0.12 हे0 ख0नं0 2071/2315 रकबा 0.6400 हे0, ख0नं0 2107/2316 रकबा 0.26 हे0 किता 3 रकबा 1.02 हे0 भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी, जो आवंटी के नाम गैर खातेदारी से दर्ज रिकार्ड है । पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने तथा आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जाने से अप्रार्थी को किये गये उक्त आवंटन को आवंटन नियम 14(4) के तहत खारिज कराने हेतु प्रकरण इस न्यायालय में पेश किया गया।
2. प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी हेतु नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी की ओर से श्री अशोक कुमार मीणा अभिभाषक का वकालतनामा पेश हुआ । वकील अप्रार्थी ने अपना जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है । पेरोकार सरकार एवं वकील अप्रार्थी उपस्थित ।
3. पेरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि आवंटी अप्रार्थी को ग्राम कैथून तह0 लाडपुरा की आराजी खसरा नम्बर 2070/2314 रकबा 0.12 हे0 ख0नं0 2071/2315 रकबा 0.6400 हे0, ख0नं0 2107/2316 रकबा 0.26 हे0 किता 3 रकबा 1.02 हे0, भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना में कब्जा काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया जाने पर तहसीलदार लाडपुरा ने आवंटन निरस्तीकरण का प्रकरण प्रस्तुत किया है । अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी से यह सिद्व नहीं होता है कि उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त अप्रार्थी का ही है अपितु अप्रार्थी ने इस न्यायालय के पूर्व के अपील प्रकरण संख्या68/99 उनवान मोहम्मद रजाक वगै0

बनाम सरकार जर्ये तहसीलदार व जोधराज निर्णय दिनांक 27.3.2000 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है जिससे स्पष्ट है कि उक्त आवंटित भूमि पर अन्य व्यक्तियों का कब्जा काश्त है । अप्रार्थी ने आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो की अवहेलना की है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के हक में किया गया भूमि आवंटन निरस्त फरमाया जावें ।

4. वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब एवं बहस में कथन किया है कि अप्रार्थी की गैर खातेदारी में चली आ रही उक्त वर्णित भूमि किता 3 की कुल रकबा 1.02 हे0 वाके ग्राम कैथून तहसील लाडपुरा प्रार्थी को दिनांक 21.4.1984 को आवंटन हुई थी । जिसकी गैर खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 447 दिनांक 31.3.1998 को तस्दीक किया गया तथा उक्त भूमि पर प्रार्थी को दखल दिया गया और दखल देने के पश्चात प्रार्थी का ही उक्त भूमि पर निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसकी समय समय पर चौसाला गिरदावरी भी बनाई गई जिसमें फसल का नियमानुसार अंकन किया गया जिसकी खसरा गिरदावरी सम्वत 2053 से 2056 एवं खसरा गिरदावरी सम्वत 2080 संलग्न है । उक्त रेफरेंस कार्यवाही का 41 वर्ष के पश्चात कोई भी कारण उत्पन्न नहीं होता है बल्कि आवंटन नियमों के अनुसार आवंटन के पश्चात प्रथम तीन वर्षो में आवंटन नियमों की पालना करने पर आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का कानूनन अधिकार प्राप्त हो जाता है इसलिये नियमानुसार उक्त आवंटितशुदा भूमि को प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज किया जाना चाहिये था किन्तु फिर भी आवंटन के नियमों के विपरीत जाकर उक्त कार्यवाही की गई है । इसलिये प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है । अप्रार्थी के द्वारा आवंटन के पश्चात आवंटन की शर्तो के अनुसार प्रथम तीन वर्ष में ही सम्पूर्ण आवंटित भूमि को काबिज काश्त योग्य बनाया गया । उक्त भूमि पर काफी मेहनत पैसा खर्च कर जमीन को समतल कर कृषि योग्य बनाया जाकर इस पर निरन्तर प्रार्थी के द्वारा काश्त की जा रही है । प्रार्थी के आवंटन को न्यायालय हाजा द्वारा आदेश दिनांक 27.3.2000 से भी बहाल रखा गया था इससे स्पष्ट है कि 41 वर्ष बाद उक्त रेफरेन्स कार्यवाही का कोई भी कारण उत्पन्न नहीं होता है इसलिये रेफरेन्स कार्यवाही बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कानून मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना कार्यवाही निरस्त फरमायी जावें ।

5. हमने पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अप्रार्थी को ग्राम कैथून तहसील लाडपुरा की आराजी खसरा नम्बर 2070/2314 रकबा 0.12 हे0 ख0नं0 2071/2315 रकबा 0.6400 हे0, ख0नं0 2107/2316 रकबा 0.26 हे0 किता 3 रकबा 1.02 हे0, भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी किन्तु अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं करने से तथा आवंटन शर्तो का उल्लंघन करने से तहसीलदार लाडपुरा द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किया है । अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब अनुसार आवंटित भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा काश्त होना तथा आवंटन से अब तक उन्हीं के द्वारा काश्त की जाना बताया है । कब्जा काश्त करने के पुष्टि में अप्रार्थी द्वारा खसरा गिरदावरी सम्वत 2053-56 व 2080 संलग्न की है जिसमें सोयाबीन की फसल काश्त दर्ज है । इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा अपने कथनों की पुष्टि कब्जा काश्त के सम्बन्ध में खसरा गिरदावरी प्रस्तुत की है किन्तु पेरोकार सरकार द्वारा यह कथन किया है कि खसरा गिरदावरी में फसल काश्त होने से आवंटी अप्रार्थी का कब्जा साबित नहीं होता है, कब्जा काश्त अन्य का भी हो सकता है, पेरोकार सरकार के इस कथन की पुष्टि अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस न्यायालय के अपील प्रकरण संख्या 68/99 निर्णय दिनांक 27.3.2000 से होती है जिसमें अपीलान्ट मोहम्मद रजाक वगै0 द्वारा उक्त आवंटित भूमि पर अपना कब्जा होना बताया है । इस प्रकार आवंटी का उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा साबित नहीं होने से अप्रार्थी

द्वारा आवंटन शर्तो की पालना में कब्जा काश्त नहीं करने से आवंटन शर्तो का उल्लंघन होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन निरस्त योग्य पाते है ।

6. परिणामस्वरूप प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के हक में किया गया भूमि आवंटन अपास्त किया जाकर ग्राम कैथून की आराजी खसरा नम्बर 2070/2314 रकबा 0.12 हे0 ख0नं0 2071/2315 रकबा 0.6400 हे0, ख0नं0 2107/2316 रकबा 0.26 हे0 किता 3 रकबा 1.02 हे0,भूमि सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिये जाते है । तहसीलदार लाडपुरा आदेश की पालना में उक्त आवंटित भूमि सिवायचक दर्ज करते हुए कब्जा राज लेवें ।

7. निर्णय आज दिनांक .01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा